न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/राजस्व/12/2021

बच्चूसिंह पुत्र रामसिंह जाति बाबरिया निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिए पैरोकार सरकार।

.....रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि0 25.02.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार लखनपुर उनवानी राज0 सरकार बनाम बच्चूसिंह प्रकरण सं. 02/2021 अर्न्तगत धारा 91 एलआर एक्ट

उपस्थित :–
1–श्री पुरूषोत्तम मुद्गल एड0, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2–राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक 28.12.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार लखनपुर के निर्णय दि0 25.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में नायब तहसीलदार लखनपुर ने अतिक्रमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 730/0.71 गै0मु0 पोखर में 0.71 है0 पर फसल गेहूं से बेदखल किये जाने एवं शास्ती आरोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्व नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नायब तहसीलदार लखनपुर से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि आराजी खसरा नम्बर 727,731 व अन्य खसरा नम्बरान अपीलान्ट की पत्नी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कय किये था उसी दिना से काबिज रहकर काश्त कर रहे है व मौके पर फसल गेहूं खडी है। आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 77 ऐयर वाके ग्राम गगवाना तहसील नदबई में स्थित है जिसकी अपीलान्ट की पत्नी शान्ती व अन्य खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 727 रकबा 77 ऐयर का है जिसे गात्र 6 ऐयर का नक्शे में दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 730 नया नम्बर बनाकर गै0मु0 पोखर दर्ज कर दिया है। खसरा नम्बर 730 रकबा 71 ऐयर का बनाया है जबकि खसरा नम्बर 730 खसरा नम्बर 727 का ही भाग है। खसरा नम्बर 730 पर अपीलान्ट की पत्नी द्वारा लगभग 35 साल से काश्त रही है व मौके पर गेहूं की फसल बुबी हुई है, कोई पोखर नही है, पोखर का क्षेत्रफल अलग से दिया हुआ है जो कि खसरा नम्बर 347 है उसी से खसरा नम्बर 347 बनाया गया है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा खसरा नम्बर 727 को नया नम्बर 730 बनाकर पोखर दर्ज कर दिया है जो रिकार्ड व मौके के विपरीत है। तहत न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे ही सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से पटवारी हल्का से 91 एल.आर.एक्ट की रिपोर्ट करा दी है, जबकि मौके पर अपीलान्ट की पत्नी काश्त कर रही है। अपीलान्ट दलित व्यक्ति है वह अतिक्रमण कैसे कर सकता है। तहत न्यायालय द्वारा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का कोई मौका नही दिया और जल्दबाजी में प्रकरण को निर्णित कर दिया गया है। यदि पोखर खुदी हुई होती तो उसमें गेहूं की फसल कैसे बोई जा सकती है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2021 को निरस्त किया जाकर फसल नीलामी नही की किये जाने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 730 रकबा 0.71 गैर मुमकिन पोखर पर गेहूं फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की गई है जो कि नियमानुसार की है। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश उचित व सही पारित किया गया है। अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, मिलान क्षेत्रफल व खसरा गिरदावरी पेश की है। तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का गगवाना तहसील नदबई द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 730 / 0.71 में 0.71 रकबा पर फसल गेहूं काश्त कर गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब खसरा नम्बर 730 रकबा 0.71 है0 व 471

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

रकबा 1.00 किता 2 रकबा 1.71 है0 गै0मु0पोखर को सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा दो भागों में गलत रूप से अलग-अलग करके साविक खसरा नम्बर 374 रकबा 6.15 बीघा से निर्मित कर विपरीत दिशा उत्तर दक्षिण में हाल नक्शा में दर्ज कर दिया है जो कि खिलाफ कानून व मौका है। हाल खसरा नम्बर 727 रकबा 0.77 है0 जो भूप्रबंध विभाग ने सम्वत् 2060 साविक खसरा नम्बर 353 रकबा 3.01 बीघा से निर्मित कर हाल नक्शे में छोटा दर्शित कर दिया है व उसके नीचे ख0न0 330 रकबा 0.77 गै0मु0पोखर का साविक नक्शा के विपरीत गलत दिशा में दर्शाया गया है जो कि अपीलान्ट की पत्नी की खातेदारी का भूभाग है। प्रकरण में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 730 रकबा 0.71 है0 गै0मु0 पोखर दर्ज रिकार्ड है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसका आवंटन/नियमन नही किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय रकबे पर अतिक्रमण किया गया है जो गैरकानूनी व नियम विरूद्व होने के कारण अपीलान्ट किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नही रहता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.03.2021 को अपास्त किया जाना उचित पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। स्थगन आदेश दिनांक 17.03.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखलकर कब्जेराज लिया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर